न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :–145 / 2024 निर्णय दिनांक : 29.11.2024

1. समीम पत्नी लियाकत अली निवासी बीड़ की ढाणी वार्ड नं. 41, झुंझुनूं तहसील व जिला झुझुनूं

वादिया

बनाम

1. भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनूं

प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत घोषणा एवं राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती अ. धारा 88 आरटीए व अ. धारा 136 एलआर एक्ट

–: विवेचन :–

वादिया की ओर से वाद निम्नानुसार है:–

यह कि वाके ग्राम / कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं में हाल भूमि खसरा नं. 2267 रकबा 3.14 है0, खसरा नं. 2276 रकबा 2.72 है0, खसरा नं. 2277 रकबा 1.35 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 7.21 है0 अवस्थित है जिसमें वादिया का हिस्सा 45513 / 793100 दर्ज है। उक्त भूमि वादिया ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.10.2012 को क्रय की थी उस समय वादिया के पास एकमात्र पहचान पत्र मतदाता पहचान पत्र था जिसमें वादिया का घर पर पुकारे जाने वाला नाम जैतून दर्ज रहा जिस कारण उक्त क्रयशुदा भूमि में भी वादिया का नाम जैतुन ही दर्ज रिकॉर्ड हो गया। परन्तु वादिया के अन्य सभी दस्तावेजों में वादिया का नाम समीम पत्नी लियाकत दर्ज है जिसे दुरूस्त करवाने के लिए वाद कारण पैदा हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादी भूमि अधिकारी तहसीलदार झुंझुनूं से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2024 / 2140 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा प्रेषित की जिसमें अंकित किया गया है कि वादिया द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों में वादिया का नाम समीम पत्नी लियाकत ही अंकित है। वादिया की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया उपस्थित आये। वकील वादिया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादिया ने कथन किया कि वादिया का सही नाम जैतुन की बजाय

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

समीम ही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया तथा वकील बहस पर बगौर मनन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादिया न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

–: निर्णय :–

वाद वादिया सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम/कस्बा झुंझुनूं तहसील व जिला झुझुनूं में हाल भूमि खसरा नं. 2267 रकबा 3.14 है0, खसरा नं. 2276 रकबा 2.72 है0, खसरा नं. 2277 रकबा 1.35 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 7.21 है0 कृषि भूमि में वादिया का नाम जैतुन पत्नी लियाकत अली के स्थान पर समीम पत्नी लियाकत दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील जाप्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

29/11/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner